न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा

म0प्र0

R-3774-III/14

गजाधर तनय श्री मंगलदीन सोनी निवासी ग्राम डेल्ही तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ---------निगरानीकर्ता

बनाम्

रामनरेश पिता रामधनी सोनी निवासी ग्राम डेल्ही, तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 --------गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार मनगवां द्वारा प्रकरण कमांक 5अ70/2012-13 दिनांक 28.08.14 को पारित किया गया।

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

---

मान्यवर,

**प्रकरण के संक्षिप्त विवरणः-**

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 के न्यायालय मे धारा 250 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के तहत आराजी नं-840 रकवा 0.097 हेक्टेयर, व आराजी नं-841 रकवा 0.024 हेक्टेयर स्थित मौजा डेल्ही, पटवारी हल्का डेल्ही, राजस्व निरीक्षक मण्डल डेल्ही, तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 स्थित भूमि मे अनावेदक रामनरेश सोनी द्वारा अवैध रुप से निगरानीकर्ता के स्वामित्व की भूमि मे मकान का निर्माण कार्य कर कब्जा किया जा

गजाधरप्रसादसोनी

XXXIX(a)-BR(H)-II

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3224/III/14 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | गजाधर (सोनी) कार्यवाही तथा आदेश रामतेश्वर | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 24.2.2016 | प्रकरण मे आवेदक अधि० श्री पीयूषकांत मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो मे अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28.8.14 का परिशीलन किया गया। परिशीलन करने पर पाया गया कि तह० द्वारा प्रकरण मे ऐसा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की कोई सम्भावना उत्पन्न हुई हो। अभी प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष के मौखिक एवं लेखीय साक्ष्य हेतु पेशी नियत की गई है जहां उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तह० के आक्षेपित आदेश दिनांक 28.8.14 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त एवं वैधिक आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र० दा० रि० हो। (हस्ताक्षर) सदस्य | |